अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, बीकानेर

न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी ए.एच गौरी, आर.ए.एस.

अपील संख्या 235 / 2017 एल.आर. एक्ट (GCMS No 2017/ 00063)

महेन्द्र कुमार पुत्र राधुराम जाति कुम्हार निवासी वार्ड सं. 15 कस्बा राजगढ जिला चूरू।

अपीलान्ट

बनाम

1. हनुमान पुत्र मूलाराम जाति कुम्हार साकिन वार्ड सं. 15 कस्बा राजगढ तहसील राजगढ जिला चूरू।
2. काशीराम पुत्र मूलाराम जाति कुम्हार साकिन वार्ड सं. 15 कस्बा राजगढ तहसील राजगढ जिला चूरू।
3. बालमुकुन्द पुत्र मूलाराम जाति कुम्हार साकिन वार्ड सं. 15 कस्बा राजगढ तहसील राजगढ जिला चूरू।
4. लीलाधर पुत्र मूलाराम जाति कुम्हार साकिन वार्ड सं. 15 कस्बा राजगढ तहसील राजगढ जिला चूरू।
5. दीपचन्द पुत्र मूलाराम जाति कुम्हार साकिन वार्ड सं. 15 कस्बा राजगढ तहसील राजगढ जिला चूरू।
6. धन्नी देवी पत्नि मूलाराम जाति कुम्हार साकिन वार्ड सं. 15 कस्बा राजगढ तहसील राजगढ जिला चूरू।
7. सरोज पुत्री मूलाराम जाति कुम्हार साकिन वार्ड सं. 15 कस्बा राजगढ तहसील राजगढ जिला चूरू।
8. विमला पुत्री मूलाराम जाति कुम्हार साकिन वार्ड सं. 15 कस्बा राजगढ तहसील राजगढ जिला चूरू।
9. मुकी पुत्री मूलाराम जाति कुम्हार साकिन वार्ड सं. 15 कस्बा राजगढ तहसील राजगढ जिला चूरू।
10. सीता देवी बैवा विजय कुमार जाति कुम्हार साकिन वार्ड नं. 15 कस्बा राजगढ तहसील राजगढ जिला चूरू।
11. सुरेश कुमार पुत्र विजय कुमार जाति कुम्हार साकिन वार्ड नं. 15 कस्बा राजगढ तहसील राजगढ जिला चूरू।
12. मोनु कुमारी पुत्री विजय कुमार जाति कुम्हार साकिन वार्ड नं. 15 कस्बा राजगढ तहसील राजगढ जिला चूरू।
13. पारो कुमारी पुत्री विजय कुमार जाति कुम्हार साकिन वार्ड नं. 15 कस्बा राजगढ तहसील राजगढ जिला चूरू।
14. मनीषा कुमारी पुत्री विजय कुमार जाति कुम्हार साकिन वार्ड नं. 15 कस्बा राजगढ तहसील राजगढ जिला चूरू।
15. जयनारायण पुत्र विजय कुमार जाति कुम्हार साकिन वार्ड नं. 15 कस्बा राजगढ तहसील राजगढ जिला चूरू।
16. स्टेट बैक बीकानेर एण्ड जयपुर (हाल एस.बी.आई.) शाखा राजगढ जिला चूरू शाखा प्रबन्धक
17. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजगढ जिला चूरू।

रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थितः
1. श्री विजय कुमार पारीक – अभिभाषक अपीलांट
2. श्री एस.एन.तिवाड़ी – अभिभाषक रेस्पोडेन्ट 1,2,4,5,6,8,10,11,12,13,14,15
3. श्री मोहम्मद इम्तियाज अली – राजकीय अभिभाषक

अति.संभागीय आयुक्त
बीकानेर

निर्णय

दिनांकः 28–09–2021

1. यह अपील भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी राजगढ जिला चूरू के निर्णय दिनांक 12–05–2017 के विरुद्ध पेश हुई है।

2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट हनुमान वगैरह ने सहायक कलेक्टर राजगढ में प्रार्थना पत्र बाबत दुरूस्ती नक्शा अन्तर्गत धारा 131 एल आर एक्ट पेश कर निवेदन किया कि वादगत कृषि भूमि गत खसरा सं. 914 / 1493 तादादी 08.15 बीधा रोही कस्बा राजगढ में जिसके हाल खसरा सं. 1870 / तादादी 0.92 हैक्टर खसरा सं. 1871 तादादी 1.25 हैक्टर, रोही मौजा कस्बा राजगढ तहसील राजगढ जिला चूरू पैमूद हुए है, के अशुद्व नक्शा सन् 2002 –2003 को वाद सं. 66 / 77 में पारित निर्णय व डिक्री के अनुसार तथा अनेक्चर "क " में क्रमश लाल व नीले रंग से दर्शाए अनुसार प्रार्थीगण, गौण अप्रार्थीगण व अप्रार्थी सं. 1 का होना नक्शा मे शुद्व किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अंकित किये जाने के आदेश फरमावे। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ ने अपने निर्णय दिनांक 12.05.2017 द्वारा रेस्पोडेन्ट हनुमान वगैरह का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वादगत कृषि भूमि गत खसरा सं. 914 / 1493 तादादी 08.15 बीधा रोही कस्बा राजगढ में जिसके हाल खसरा सं. 1870 / तादादी 0.92 हैक्टर खसरा सं. 1871 तादादी 1.25 हैक्टर, रोही मौजा कस्बा राजगढ तहसील राजगढ जिला चूरू पैमूद हुए है, के अशुद्व नक्शा सन् 2002 –2003 को वाद सं. 66 / 17 में पारित निर्णय व डिक्री के अनुसार तथा अनेक्चर "क " में क्रमश लाल व नीले रंग से दर्शाए अनुसार प्रार्थीगण, गौण अप्रार्थीगण व अप्रार्थी सं. 1 का होना नक्शा मे शुद्व किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अंकित किये जाने के आदेश दिये गये। उक्त आदेश के विरूद्व अपीलान्ट द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

3. यह अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, रेस्पोडेन्ट्स एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट सं. 3, 7, 9, 16 के निमित सम्मन जारी किये गये, सम्मन बाद तामिल प्राप्त होने पर भी उनकी ओर से कोई उपस्थित नही हुआ।

4. उभय पक्ष की बहस सुनी गई। अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान अपील मीमो के बिन्दुओं को दोहराते हुये कहा कि अपीलान्ट ने

अति. संभागीय आयुक्त
बीकानेर

जरिये रजिस्ट्री दिनांक 19.03.1991 को खातेदार से करबा रोही राजगढ के खसरा नं. 1662/214/1493 की 5 बीधा 2 बिस्वा भूमि खरीद की थी। खरीद के समय जिस स्थान पर भूमि बेचवान कर्ता की थी एवं नक्शें में जो दर्ज थी उसी अनुसार खरीद की। उक्त भूमि का नामान्तरकरण सं. 2123 सन् 2005 में अपीलान्ट के नाम दर्ज हुआ। उक्त भूमि के खसरा नं. बाद में 1871 दर्ज हुआ एवं 1870 अन्य में दर्ज हुआ। रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में सैक्शन 131 एल आर एक्ट के प्रार्थना पत्र में नक्शे के संशोधन में वाद सं. 66/77 एवं डिक्री अनुसार दुरूस्ती चाही। अगर कोई 40 वर्ष पहले डिक्री हुई थी तो उसकी पालना क्यो नही करवाई थी। नक्शे मे संशोधन क्यो नही करवाया था जबकि वास्तव में कोई डिक्री थी ही नही। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में वाद सं. 66/77 की प्रतिलिपि नही है। उपखण्ड अधिकारी ने वाद सं. 66/77 की बिना प्रतिलिपि के निर्णय केसे पारित कर दिया। इस आधार पर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज किया जावे। इसके अलावा रजिस्टर्ड बेचवान आज तक निरस्त नही हुआ है। अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 03.10.2016 को प्रार्थना पत्र पेश कर प्रकरण को स्थानान्तरण करने का निवेदन किया, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित कर दिया जो गलत है। अपीलान्ट ने उक्त भूमि पर लोन भी ले लिया था। भू प्रबन्धक विभाग ने कोई गलत दर्ज नही किया था मात्र बेचवान की पालना की थी। बेचवान कर्ता का देहान्त हो चुका है। अपीलान्ट ने अपील इल्म के दिन से अन्दर मियाद पेश की है, रेस्पोडेन्ट ने मियाद के खिलाफ कोई काउन्टर शपथ पत्र पेश नही किया है। अतः अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार की जाकर अपील स्वीकार की जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त फरमाया जावे। अभिभाषक अपीलांट् ने अपने पक्ष के समर्थन में RRD 1981 पृष्ठ 292, RRD 1999 पृष्ठ 173, RRD 1998 पृष्ठ 319, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 पृष्ठ 47 का न्यायिक दृष्टांत पेश कर अपील अपीलांट स्वीकार करने का निवेदन किया।

5. रेस्पोडेंट नं. 1,2,4,5,6,8,10,11,12,13,14,15 के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान कहा कि अधीनस्थ न्यायालय में हनुमान, काशीराम, बालमुकन्द, लीलाधर,दीपचन्द, दशरथ कुल 6 लोगो ने प्रार्थना पत्र बाबत दुरूस्ती नक्शा अन्तर्गत धारा 131 एल आर एक्ट पेश किया था। ये 6 लोग इनके हकदार भी थें। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 12-05-2017 में भी

अति. संभागीय आयुक्त
बीकानेर

इन 6 लोगो के नाम है। इस न्यायालय में प्रस्तुत अपील में दशरथ को पक्षकार नही बनाया गया है। जहा अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार हो और इस अपील में पक्षकार नही हो उस अपील की प्रोसिडिंग चल नही सकती है। अपील को इसी बिन्दु पर खारिज की जावे। इसके अलावा अपीलान्ट की अपील मियाद बाहर पेश की गई है। इनके प्रार्थना पत्र धारा–5 में बताये गये कथन झूठे है, इनके शपथ पत्र झूठे है । अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट के अभिभाषक उपस्थित थे, इनको अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की जानकारी थी। अपीलान्ट ने मियाद के संबध में उस अभिभाषक का शपथ पत्र पेश नही किया जो इनकी ओर से अधीनस्थ न्यायालय मे हाजिर था, इसलिए ये शपथ पत्र वेग है। रेस्पोडेन्टे के अभिभाषक ने अपने पक्ष के समर्थन में AIR 1979 पृष्ठ 1682, का न्यायिक दृष्टांत पेश कर अपीलांट की अपील खारिज करने का निवेदन किया।

6. राजकीय अभिभाषक ने बहस के दौरान कहा कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय सही है। अतः अपीलान्ट की अपील खारिज की जावें।

7. हमने विद्वान अभिभाषकगणों की बहस पर मनन किया। उपलब्ध दस्तावेजात, पत्रावलियों एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। प्रस्तुत अपील उपखण्ड अधिकारी राजगढ के निर्णय दिनांक 12.05.2017 के विरूद्व 12.09.2017 को प्रस्तुत की गई तथा विलम्ब से अपील प्रस्तुत करने हेतु दफा –5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसके जबाब मे रेस्पोडेन्ट ने कथन किया है कि अपीलान्ट को निर्णय की जानकारी थी अपील विलम्ब से प्रस्तुत की गई चुकि मियाद जेसे तकनिकी बिन्दु पर इस समय विचारण के स्थान पर मेरिट पर भी बहस सुनी जा चुकी है। ऐसी स्थिति में न्यायहित में मियाद का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रकरण में तथ्य यह है कि उपखण्ड अधिकारी राजगढ द्वारा धारा 131 एल.आर.एक्ट. के तहत दिनांक 12.05.2017 को निर्णय पारित करते हुए प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत प्र. सं. 66/77 निर्णय दिनांक 30.11.1977 की पालना हेतु तहसीलदार राजगढ को लिखे पत्र की प्रमाणित प्रति व उसके सलग्न नजरी नक्शा, पटवारी हल्का की जांच रिर्पोट दिनांक 9.9.2016 को आधार मानकर राजस्व नक्शे मे संशोधन के आदेश पारित किये है। प्र. सं. 66/77 की पत्रावली तलफ होने का दस्तावेज लगाया गया है। अपीलाधीन निर्णय वाद सं. 66/77 में पारित निर्णय दिनांक 30.11.1977 की पालना हेतु जारी पत्र के आधार पर

अति.संभागीय आयुक्त
बीकानेर

आधारित है। जबकि निर्णय व डिक्री की प्रमाणित प्रति न्यायालय में प्रस्तुत नही हुई है। अपीलाधीन भूमि की रिर्पोट पटवारी हल्का द्वारा तैयार की गई ऐसी जांच रिर्पोट पक्षकारान की उपस्थिति मे राजस्व अधिकारी के द्वारा स्वय मौके पर तैयार की जानी होती है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार करते हुए अपीलाधीन निर्णय दिनांक 12–05–2017 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण उपखण्ड अधिकारी राजगढ को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित (Remand) किया जाता हे कि प्रकरण में साक्ष्य सबूत लेकर राजस्व अधिकारी के स्तर से मौका जांच पक्षकारान की उपस्थिति में करवाई जाकर समूचित निर्णय पारित करे।

तदनुसार अपील निर्णित शुमार हो। पत्रावली नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर रहै। निर्णय आज दिनांक 28.09.2021 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(ए.एच गौरी)
अति.संभागीय आयुक्त,
बीकानेर